

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं.सं.-8/ज. सं.(नि.) ल.सिं.रांची-15/2012- / राँची, दिनांक-

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री कृष्ण देव नारायण सिंह ने जबकि वे कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रांची के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री कृष्ण देव नारायण सिंह (सम्प्रति सेवा निवृत्त) के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 बी. के अर्न्तगत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2- श्री कृष्ण देव नारायण सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा. प्र. से. विभागीय जॉच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3- उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए उपायुक्त, रांची द्वारा नामित पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4-प्रस्ताव पर प्रधान सचिव/ विभागीय मंत्री/ मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ:- श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जॉच पदाधिकारी, टी. ए. डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, रांची।

उपायुक्त, रांची।

श्री कृष्ण देव नारायण सिंह, सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता, पता- NH-33 (मनोकामना होटल के नजदीक) थाना- मेराबल, सिंदुर, हजारीबाग, झारखण्ड।

को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—

/राँची, दिनांक —

प्रतिलिपि—अनुबंध की प्रति के साथ श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जॉच पदाधिकारी, टी. ए. डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, रांची / उपायुक्त, रांची / श्री कृष्ण देव नारायण सिंह, सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता, पता— NH-33 (मनोकामना होटल के नजदीक) थाना— मेराबल, सिंदूर, हजारीबाग, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2—जॉच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जॉच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3— प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जॉच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4— आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा बिलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०—यथोक्त।

ह०/—

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—

/ राँची, दिनांक —

प्रतिलिपि— उपायुक्त, रांची को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए अपने स्तर से किसी पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करने की कृपा की जाय।

ह०/—

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—

1921

/ राँची, दिनांक — 23-4-15

प्रतिलिपि— संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

23-4-15